न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–148/2026
भरतखण्ड थाना काण्ड सं0–31/2024
प्रमोद झा एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

11.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **1. प्रमोद झा एवं 2. कुमुद झा** की ओर से भरतखण्ड थाना काण्ड सं0–31/2024, धारा–342, 323, 379, 384, 386, 387, 307, 354, 427, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(x) SC/ST अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री शंकर साह के द्वारा संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से संयुक्त हाजिरी दी गयी है तथा पुकार पर वे न्यायालय में उपस्थित हुए, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन यह है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को इस मामले में गलत इरादे, अनुचित दबाव डालने, दुर्भावना एवं जमीनी विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। दिनांक 07.07.2022 की कथित घटना को लेकर प्राथमिकी दिनांक 29.06.2024 को दर्ज करायी गयी है। सूचिका अपने साथी के साथ आवेदकगण की मक्का की फसल लूटी, जिसके लिए परबत्ता थाना काण्ड सं0–239/22 दर्ज करायी गयी है। आवेदकगण को पुलिस के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा–41(i) के तहत लाभ दिया गया है। आवेदकगण मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका/परिवादिनी के टंकित परिवाद वाद–पत्र के अनुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.07.2022 समय 11 बजे दिन में वादिनी मकई के फसल को देखने गई कि एकाएक आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सह–अभियुक्तगण हरवे–हथियार से लैस होकर फसल उगाने के एवज में सूचिका से दस लाख रूपये रंगदारी की माँग किया। विरोध करने पर सूचिका को जातिसूचक गाली दुसाधिन कहते हुए उसके

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–148/2026
भरतखण्ड थाना काण्ड सं0–31/2024

लगातार
11.03.2026

साथ अश्लील हरकत करने लगा तथा अभियुक्तगण मिलकर जान मारने की नियत से वादिनी एवं गवाहन के ऊपर गोली चलाया, लेकिन संयोगवश नहीं लगी। सभी अभियुक्तगण मिलकर वादिनी एवं गवाहन के द्वारा लगायी गयी मकई के फसल को रंगदारी के रूप में 73 हजार रूपये का मकई का फसल लूटकर ले गया।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदकगण सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2025 के आलोक में प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता पाकर अन्तर्गत धारा–341, 323, 379, 384, 386, 387, 307, 354, 427, 504/34 भा0द0वि0, 27 शस्त्र अधिनियम एवं 3(2va), 3(2)(w) SC/ST अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान गया है। कथित घटना 07.07.2022 की है, जबकि प्राथमिकी काफी विलम्ब से दिनांक 29.06.2024 को दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–34 के अनुसार, आवेदकगण को पुलिस द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा–41(i) का लाभ देते हुए बंध–पत्र पर मुक्त किया गया है। कंडिका–35 के अनुसार, आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। कंडिका–50 एवं 53 के अनुसार, उभय पक्ष के बीच जमीनी विवाद है तथा दोनों पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद दर्ज है। आवेदकगण पर लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है तथा वे आज न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किये हैं, ऐसी दशा में उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरांत, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।